

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया(गुमला)।

अनुसूची - 14 फर्म सं0 563

दाखिल खारिज अपील वाद सं0 08/2020-21

प्रथम पक्ष - सुईस बाड़ा अपीलकर्ता।

बनाम

द्वितीय पक्ष - झारखण्ड सरकार।

आदेश की क0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर		आदेश की गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी तारीख साथ												
1	2	3													
8.2.22	प्रस्तुत वाद अपीलार्थी सुईस बाड़ा, पति स्व0 विजय बाड़ा, ग्राम जामडांग, थाना बसिया, जिला गुमला द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 94R 27/2018-19 में अंचल अधिकारी, बसिया के न्यायालय में दिनांक 05/03/2019 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर अपील दायर किया गया। आवेदक द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित दाखिल खारिज वाद संख्या 94R 27/2018-19 दिनांक 05/03/2019 में पारित आदेश की प्रमाणित प्रति एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादगत् भूमि का विवरण :- <table><tr><th>मौजा</th><th>खाता</th><th>प्लॉट</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>जामडांग</td><td>05</td><td>245</td><td>0.71 एकड़</td></tr><tr><td colspan="4">कुल रकबा 00.71 (एकहत्तर डिसमिल) भूमि</td></tr></table> अपीलार्थी को सूनकर सुनवाई हेतु इस अपील को ग्रहण किया गया। अंचल अधिकारी, बसिया के पारित आदेश में उल्लेखित है कि विक्रेता या क्रेता के पिता के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है। जिसके कारण न्यायालय अंचल बसिया द्वारा नामांतरण वाद सं0 94R 27/2018-19 को अस्वीकृत किया गया। अपील आवेदन के आलोक में उक्त वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए अपीलकर्ता एवं आपतिकर्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय का पारित मूल अभिलेख की मांग किया गया अभिलेख प्राप्त है। अपीलकर्ता के द्वारा दाखिल बयान एवं कागजात:- अपीलार्थी के द्वारा दाखिल अपील वाद में स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब, भूमि संबंधि कागजात दाखिल किया गया जिसमें मौजा जामडांग के थाना सं0 114 खाता सं0 5 प्लॉट सं0 245 रकबा 0.71 एकड़ भूमि रजिस्ट्री पट्टा सं0 1578 दिनांक 13/07/2015 द्वारा खरीद की थी। उक्त भूमि सर्वे खतियान में मो0 अखजी कुंवर बगै0 के नाम पर दर्ज है। उक्त बिक्रेता के पूर्वजों के नाम से लगान रसीद कटता है।		मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा	जामडांग	05	245	0.71 एकड़	कुल रकबा 00.71 (एकहत्तर डिसमिल) भूमि				
मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा												
जामडांग	05	245	0.71 एकड़												
कुल रकबा 00.71 (एकहत्तर डिसमिल) भूमि															



आवेदिका लुसिया बाड़ा पति विजय बाड़ा वो प्रिस्का बाड़ा पति सुरेन बाड़ा ग्राम जामडांग में उक्त भूमि को खतियानी रैयत के वंशज से उनके दखल कब्जे भूमि को खरीद लिये है। भूमि पर खरीदगी के बाद शांति पूर्वक दखलकार है। भूमि कृष्ण कुमार सिंह पिता स्व० नरेन्द्र नाथ सिंह से दाखिल किया है।

अंचल अधिकारी बसिया के कार्यालय उक्त भूमि के नामांतरण हेतु वाद सं० 94आर27/2018-19 दायर किया गया था। जिसमें राजस्व कर्मचारी अपनी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि बिक्रेता या क्रेता के पिता के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है।

अतः दाखिल खारिज अस्वीकृत किया जाता है। एवं तत्कालिन अंचल निरीक्षक द्वारा इसकी पुष्टि की गयी। प्राप्त प्रतिवेदन पर बिना कोई गुण दोष देखे हुए मेरे दाखिल खारिज को अंचल अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

भूमि पर वर्ष 2015 से मेरे द्वारा शांतिपूर्वक लगातार दखल कब्जा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त दाखिल खारिज वाद सं० 94आर27/2018-19 पर अपील दायर करते हुए मेरा अपील वाद अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।

अपीलार्थी द्वारा दाखिल कागजात।

1. रजिस्ट्री पट्टा का छाया प्रति।
2. खतियान की छाया प्रति।
3. लगान रसिद की छाया प्रति।

उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन के पश्चात, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उक्त वादगत भूमि मौजा जामडांग के थाना सं० 114 खाता सं० 5 प्लॉट सं० 245 रकबा 0.71 एकड़ भूमि से संबंधित है। उक्त वादगत भूमि सर्वे खतियान में मो० अखजी कुंवर बगै० के नाम पर दर्ज है, बिक्रेता के पूर्वजों के नाम से लगान रसीद आ रहा कटता है। अंचल अधिकारी, बसिया के द्वारा आवेदित भूमि का दाखिल खारिज को अंचल अधिकारी, बसिया के द्वारा यह कह कर अस्वीकृत किया गया है कि बिक्रेता या क्रेता के पिता के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है अतः दाखिल खारिज वाद को अस्वीकृत किया गया है। जबकि अपीलार्थी द्वारा दाखिल कागजात लगान रसिद में भूमि बिक्रेता कृष्ण कुमार सिंह पिता स्व० नरेन्द्र नाथ सिंह के नाम से पंजी ii में नाम दर्ज है एवं लगान रसिद कट रहा है वही अपीलार्थी द्वारा उक्त वादगत भूमि को विक्री पट्टा से खरीदगी के बाद भूमि का घेरा बंदी कर दखल कब्जा करते हुए खेती कर रहे है।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 94R 27/2018-19 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के द्वारा दाखिल अपील को स्वीकृत किया जाता है। प्रश्नगत मामले में अपीलार्थी के नाम पंजी ii में नाम संधारित कर ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने हेतु इस आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बसिया को भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बसिया(गुमला)।



भूमि सुधार उप समाहर्ता
बसिया(गुमला)।